संचिका सं0–7 / PMI -49-18/2025-.......78..... (78)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 14/02/2026

विषय:– वित्तीय वर्ष 2025–26 में पारामेडिकल संस्थान, सदर अस्पताल, पश्चिम चम्पारण में विभिन्न पारा मेडिकल पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृति / वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू0 11,75,000/- (रूपये ग्यारह लाख पचहत्तर हजार) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1017(1), दिनाक–30.11.2022 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में पारामेडिकल सस्थान, सदर अस्पताल, पश्चिम चम्पारण मे विभिन्न पारा मेडिकल पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृति / वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू0 11,75,000/- (रूपये ग्यारह लाख पचहत्तर हजार) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(2) इस पर होने वाले व्यय का वहन माग सं0–20 के अतर्गत स्थापना एव प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसधान, लघु शीर्ष–105–एलोपैथी, उपशीर्ष–0067–पारामेडिकल संस्थान, सदर अस्पताल, पश्चिम चम्पारण, विपत्र कोड–20-2210-05-105-0067 अंतर्गत छात्रवृति / वजीफा (34–01) मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(3) इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण होगे एवं नियत्री पदाधिकारी, क्षेत्रीय अपर निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर होंगे।

(4) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित विभाग एव स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रो के आलोक मे राशि की निकासी विहित प्रपत्र के माध्यम से करते हुए संबंधित छात्रो को उपलब्ध करायेंगे ।

(5) राशि की निकासी जिला कोषागार, पश्चिम चम्पारण से की जायेगी ।

(6) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 / वि(2), दिनाक–17.04.1998 के प्रावधानो के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

(7) वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक मे व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र नियमानुसार BTC Form-42A पर तैयार करते हुए महालेखाकार, कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(8) प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका स०–7 / PMI -49-18/2025 के पृष्ठ–10 / टि० पर प्राप्त है।

(9) इसमे सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

(10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवटित राशि CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

विश्वासभाजन,

13/2/26

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापाक— 7/PMI-49-18/2025- .....78(70)/स्वा0, पटना, दिनांकः— 14/02/2026

प्रतिलिपि—वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण/क्षेत्रीय अपर निदेशक, तिरहुत प्रमडल, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण/प्रभारी प्राचार्य, पारामेडिकल संस्थान, सदर अस्पताल, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—07बी एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/2/26

सरकार के अपर सचिव